④

स0 इकबाल सिंह

उपाध्यक्ष (राज्यमंत्री स्तर)

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग

उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय :- अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह क
अधोईवाला, देहरादून (उत्तरा
फोन/फैक्स नं. : 0135-26
ई-मेल: info@ukmc.in, वेबसाईड: www.uk
आवास - ग्राम सरकडा, पो०-न
तह०-सितारगंज, जिला-ऊधमसिंह नगर, मो0: 7895103377, 99277

पत्रांक 638 ....

दिनांक 23/9/2

स. इकबाल सिंह, मा. उपाध्यक्ष,(राज्य मंत्री स्तर) उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 07.09.2019 को हेमकुण्ड साहिब यात्रा मार्ग की निरीक्षण की टिप्पणी–

1– दिनांक 07.09.2019 को हेमकुण्ड साहिब विश्व प्रसिद्ध धाम के मार्ग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय जिला प्रशासन, पुलिस विभाग व अन्य विभाग से कोई भी उपस्थित नहीं थे। मार्ग का निरीक्षण किया गया। मार्ग में आवागमन यात्रियों के द्वारा अवगत कराया कि यात्रा मार्ग पर प्रशासन द्वारा सामान्य सुविधाएं उपलब्ध है, किन्तु घोड़ा, खच्चर के साथ चालक के सम्बन्ध में व्यवस्था सुधार करने की आवश्यकता बतायी है। प्रायः देखने को मिला कि यात्रा मार्ग पर पॉच से छः तक घोड़ा खच्चरों पर एक ही व्यक्ति रखा गया है, और कतिपय घोड़ा खच्चरों पर नाबालिक व्यक्ति रखा गया है। घोड़ा खच्चर अनियंत्रित हो रहे है। ऐसी स्थिति में किसी भी घटना की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इस व्यवस्था को सुधार किया जाना अति आवश्यक है। दूरभाष से जिलाधिकारी को भी अवगत कराया गया है।

(कार्यवाही– जिलाधिकारी चमोली / पुलिस अधीक्षक चमोली)

2– हेमकुण्ड साहिब मार्ग पर गोविन्द धाम पर यात्रियों एवं स्थानीय व्यक्तियों से भी वार्ता की गयी। जिनके द्वारा गोविन्द धाम(घांघरिया) से हेमकुण्ड साहिब रोप वे मार्ग व स्थान हेमकुण्ड साहिब में वृद्ध एवं बीमार यात्रियों हेतु हेलीपैड की स्थापना के साथ ही हेमकुण्ड साहिब घांघरिया में रियालंस के द्वारा जी0ओ0 टावर की मांग की गयी है। इस सम्बन्ध में दूरभाष से जिलाधिकारी चमोली से सम्पर्क किया गया। जिनके द्वारा तीनों कार्यो में योजना प्रस्तावित है, किन्तु मानकों के अनुसार कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी को निर्देशि त किया गया है कि तीनों योजनाओं के सम्बन्ध में यथाशीघ्र मा0 आयेाग को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– जिलाधिकारी चमोली)

3– दिनांक 06.09.2019 को स्थान गोविन्दघाट में बादल फटने से हुई क्षति के सम्बन्ध में दिनांक 07.09.2019 की सांय स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा अवगत कराया गया कि आपदा से क्षतिग्रस्त क्षेत्र का आंकलन किया जायें, व राहत एवं बचाव कार्य

क्रमशः–2

किया जायें। यद्यपि मौके पर उपजिलाधिकारी जोशीमठ के द्वारा घटित आपदा के सम्बन्ध में राहत व बचाव कार्य प्रारम्भ किया गया है। गुरूद्वारा प्रबन्धक, श्री सेवा सिंह व उपजिलाधिकारी जोशीमठ एवं स्थानीय लोगों के साथ आपदा क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। उपजिलाधिकारी जोशीमठ को निर्देशित किया गया है कि यथाशीघ्र बद्रीनाथ मार्ग व हेमकुण्ड मार्ग खुलवाने के साथ ही सभी सुविधाएं सुचारू करना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही– उपजिलाधिकारी जोशीमठ)**

4– जनपद चमोली के दिनांक 05.09.2019 से 08.09.2019 तक तहसील चमोली के अतिरिक्त कहीं भी जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की ओर से कोई भी स्कॉट आदि की व्यवस्था प्रदान नहीं की गयी है। जबकि उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग एक सांवधिक स्वतंत्र निकाय है। शासनादेश के अनुरूप आयोग के महानुभावों को प्रोटोकाल की व्यवस्था सम्बन्धित जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, किन्तु प्रोटोकॉल की अनदेखी हुई है। व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है।

(कार्यवाही– जिलाधिकारी चमोली / पुलिस अधीक्षक चमोली)

(स0 इकबाल सिंह)
उपाध्यक्ष
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग
देहरादून।

पृ.स0 638 / तद्दिनांक
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1– मा.अंध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
2– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
3– सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
4– जिलाधिकारी, जनपद–चमोली
5– पुलिस अधीक्षक, जनपद–चमोली
6– उपजिलाधिकारी जोशीमठ जनपद चमोली।

उपाध्यक्ष
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग
देहरादून।

o/c